भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 510
25 जुलाई, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना

510. श्री राजीव राय:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया और आस-पास के जिलों में पूर्ण/पूरा होने के लिए लंबित खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के विपणन में और बिक्री में वृद्धि करने में उपरोक्त सुविधाओं से कितनी सहायता मिली है; और

(ड.) उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के कारण सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है।

(ख): पीएमकेएसवाई और पीएलआईएस-एफपीआई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। पीएमएफएमई योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है । पीएमकेएसवाई और पीएलआईएस-एफपीआई के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को जारी की गई निधियों का विवरण भी **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया और आसपास के जिलों में पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई के अंतर्गत स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है । इन जिलों में पीएलआईएस-एफपीआई के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(घ): उत्तर प्रदेश के निर्यात संवर्धन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को वर्ष 2014-15 में 1351.85 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 3834.48 करोड़ रुपये तक पहुंचाने में मदद मिली है।

(ङ): यह अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की उक्त योजनाओं की अनुमोदित परियोजनाओं से लगभग 1,04,447 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

******

अनुबंध- I

25 जुलाई, 2024 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 510 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को जारी धनराशि

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
उत्तर प्रदेश	23.36 करोड़	1.19 करोड़	79.55 करोड़

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएस-एफपीआई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को जारी धनराशि

योजना	2021-22	2022-23	2023-24
पीएमकेएसवाई	713.49 करोड़	561.92 करोड़	666.21 करोड़
पीएलआईएस-एफपीआई	7.38 करोड़	489.83 करोड़	590.45 करोड़

अनुबंध-II

"खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना" के संबंध में 25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 510 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया और आसपास के जिलों में खाद्य प्रसंस्करण में स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)	स्थिति
एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना					
1	शिवा एंड संस एग्रो प्रोडक्ट्स	बलिया	14.23	5.21	कार्यान्वयनाधीन
2	सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	गोरखपुर	50.5	9.05	कार्यान्वयनाधीन
खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार					
3	मेसर्स क्रेजी बेकरी उद्योग	गोरखपुर	16.95	3.94	प्रचालनरत
ऑपरेशन ग्रीन्स योजना					
4	दोआब एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	बलिया	46.52	7.1	कार्यान्वयनाधीन

पीएमएफएमई के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया और आसपास के जिलों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम आधारित को मंजूरी दी गई प्रस्ताव

ज़िला	अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या
आजमगढ़	151
बलिया	270
देवरिया	60
गाजीपुर	324
गोरखपुर	205
मऊ	116